बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संoसंo–1/विविध–31/2015– 1406(1) /स्वाo, पटना, दिनांक– 5 /10 /2016

राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के प्राचार्य एवं अधीक्षक को वर्त्तमान में रु0 1.00 लाख (रुपये एक लाख) तक के उपकरणों के क्रय की शक्ति प्रत्यायोजित है।

(2) विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के संदर्भ में एम0सी0आई0 की आपत्तियों के निराकरण एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में समय–समय पर पारित आदेशों के त्वरित अनुपालन के उद्देश्य से राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के प्राचार्य एवं अधीक्षक को, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना (बी0एम0एस0आई0सी0एल0) द्वारा मशीन/उपकरण का दर निर्धारण होने तक की अवधि के लिए, रु0 5.00 लाख (रुपये पाँच लाख) मात्र तक के मशीन/उपकरण के क्रय की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

(3) मशीन/उपकरण के बी0एम0एस0आई0सी0एल0 द्वारा दर निर्धारित हो जाने के उपरान्त, प्राचार्य/अधीक्षक को प्रत्यायोजित यह शक्ति स्वतः वापस हो जायेगी। वैसे मशीन/उपकरण, जिनका दर निर्धारण बी0एम0एस0आई0सी0एल0 द्वारा किया जा चुका है, का क्रय निगम के माध्यम से ही किया जायेगा।

(4) क्रय/अधिप्राप्ति में वित्तीय नियमों/प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) वित्तीय नियमों/प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी संबंधित संस्थान के प्राचार्य/अधीक्षक की होगी।

(6) यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

(7) इसमें प्रधान सचिव, वित्त एवं विकास आयुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

5.10.16

(अनिल कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–1/विविध–31/2015– 1406(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 5 / 10 /2016

प्रतिलिपिः– विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, 5वीं मंजिल, बिस्कोमान भवन, गाँधी मैदान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य के आप्त सचिव/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.10.16

सरकार के उप सचिव

D/sec-1-letter-4